न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 45/2022

आर.सी.एम.एस. : 2022/270

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
शंकरलाल पुत्र चौथाराम जाति नायक निवासी बर तहसील तहसील रायपुर जिला पाली		तहसीलदार महोदय (लैण्ड हॉल्डर) रायपुर रायपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सेन

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 1-11-2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा ग्राम बर के नामान्तरकरण संख्या 3363 दिनांक 22.05.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बर पटवार हल्का बर तहसील रायपुर जिला पाली में जैर आराजी काश्त भूमि है जिसका खसरा नम्बर 159 रकबा 1.8454 हैक्टेयर है। जैर आराजी भुमि अपीलाण्ट की खरीद शुदा भूमि है जिस पर अपीलाण्ट बतौर खातेदार काश्तकार है एवं वर्तमान में काश्त कर रहे है। अपीलाण्ट ने उक्त वादग्रस्त भूमि सह प्रतिफल क्रय की एवं पटवारी हल्का ने उक्त पंजीयन बेचान पर अपीलाण्ट के नाम से दाखिल खारिज नामान्तरण संख्या 3363 खोल कर नायब तहसीलदार रायपुर को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर नायब तहसीलदार रायपुर ने बिना जांच किये कानुन से परे जाकर नामान्तरकरण संख्या 3363 अस्वीकृत कर दिया। अपीलाण्ट उक्त आराजी पर वर्तमान में कब्जा काश्त कर रहा है एंव अपीलाण्ट ने उक्त आराजी का बेचान–नामा रजिस्टर्ड किया हुआ है, लेकिन तत्कालीन नायब तहसीलदार रायपुर ने द्वेषता–पुर्ण बिना किसी कारणवश अस्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण के संबध में किसी भी न्यायालय में स्थगन आदेश पारित नही किया हुआ है फिर भी रेस्पोडेण्ट ने नामान्तरकरण खारिज कर दिया जो अपीलाण्ट के हक अधिकार के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अपीलाण्ट को सर्वप्रथम जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 20.07.2022 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हुई तो उसने नामान्तरकरण की नकलें लेकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर

अति. जिला कलक्टर पाली

A 4/2

अपील न्यायालय में पेश की है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3363 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण के संबध में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण एवं रजिस्टर्ड बेचाननामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील आराजी अपीलाण्ट की खरीदशुदा आराजी है जिस पर अपीलाण्ट वर्तमान में बतौर खातेदार काबिज है व काश्त कर रहा है, जिसके संबध में वर्तमान में किसी भी सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन नही है। अपीलाण्ट ने उक्त भूमि का बेचाननामा रजिस्टर्ड करवा रखा है एवं विधिवत कानुनी प्रक्रिया को अपनाते हुए नामान्तरकरण 3363 हेतु आवेदन किया था। भु.अ. निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के अनुसार जांच में नामान्तरकरण सही पाया गया। अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3363 दिनांक 22.05.2022 के संबध में प्रथम जानकारी दिनांक 20.07.2022 को प्रमाणित प्रति पटवार हल्का बर से प्राप्त होने पर अपील इस न्यायालय में पेश की है, उक्त नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। इसलिए अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि जैर अपील नामान्तरकरण के संबध में किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन नही है ऐसी स्थिथ में जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा ग्राम बर के नामान्तरकरण संख्या 3363 दिनांक 22.05.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रायपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 1-11-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली